HPFD-F05/141/2023-FCA वन विभाग हिमाचल प्रदेा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी, उप—कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़ सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, िावालिक खण्ड,लौंगबुड, िामला, हिमाचल प्रदेा–1710001

दिनांक िामला—1

विषयः Diversion of 0.7649 ha of forest land in favour of M/s Manimahesh Enterprises, 123/6 Samkhetar Mandi, H.P. for the construction of 0.40 MWHEP at Bithri, within the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (online Proposal No. FP/HP/Road/25347/2017).

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 18/04/202 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाअधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :--

- 1ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 765 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु आव यक धनरा ा जमा कर ली गई है।
- 2ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भुद्ध वर्तमान मूल्य की रािा जमा कर ली है।
- 3ण भुद्ध वर्तमान मूल्य की रािँा की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिरण द्वारा अनुपालना रिर्पोट के साथ दी है।
- 4ण प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी निधियों की निधारित रािा online challan के माध्यम से जमा की है।
- 5ण निमार्ण कार्य के प चात जहा जहा भी सभव होगा, पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिरण द्वारा जिन भातों के आधार पर अतिंम स्वीकृति प्रदान की जाएगी, उनकी अनुपालना निम्न प्रकार से है:–

- 1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 2ण भुद्ध वर्तमान मूल्य की रािा की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिरण द्वारा अनुपालना रिर्पोट के साथ दी है।
- 3ण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 4ण प्र्योक्ता अभिकरण द्वारा निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 6ण परियोजना के निमार्ण व रख–रखाव के दौरान जहां जहां सभंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 7ण व्न भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द र्ताए संलीवनज च्संद के अलावा अन्य किसी उददे य के लिए नहीं किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 8ण क्म से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों से अधिक नहीं होगा। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- ⁹⁰ The user agency will obtain the EC as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required. Undertaking in this regard has been furnished by UA.
- 10^o The UA will carryout muck disposal at pre-designated sites. Undertaking in this regard has been furnished by UA.
- 11^o The all the measures to protect or develop dumping sites will be adopted. The user agency has furnished undertaking in this regard.

- 12^o The user agency has furnished an undertaking that they will comply the provisions of the all rules, regulation and guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.
- 13^o The boundary of the forest land being diverted will be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial numb er, DGPS coordinates, forwarded and back b earing and distance from adjoining pillars etc. An undertaking in this regard is furnished by UA.
- 14^o The UA and the State Govt. will ensure compliance to provisions of al Acts, Rules Regulations and Guidelines, for the time being in force as applicable to the project. Undertaking has been furnished by UA.
- ^{15^o} The user agency will submit annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry. Undertaking has been furnished by UA with the compliance report.
- 16ण ऐसी अन्य कोई भीं भार्त जो कि भारत सरकार भविश्य में पर्यावरण, वन एवं जीवों के सरैक्षण हेतू आव वक लगाई जाएगी की अनुपालना पूर्ण रुप से की जाएगी।

भवदीय,

नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।